सं.-एल एंड डी ओ/फाइल सं. 24026/25/2017-सी डी एन/ 66

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

भूमि तथा विकास कार्यालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 29/03/2017

कार्यालय आदेश सं. 02/2017

विषयः स्कूलो के भूमि उपयोग का उन्नयन (अपग्रेडेशन) - के बारे में।

प्राइमरी स्कूल को सीनियर सेकेंडरी/सेकेंडरी स्कूल के उन्नयन से संबंधित मामला इस कार्यालय के सक्रिय विचाराधीन है। स्थिति को कम करने और इसे वर्तमान वास्तिवकताओं तथा योजना मानकों के अनुरूप बनाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि उन सभी सोसाइटियों/संस्थाओं/ट्रस्टों/संगठनों/समितियों, आदि को अपना स्कूल प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी/सेकेंडरी में उन्नयन करने की अनुमति प्रदान की जाए जिन्हें प्राइमरी स्कूल/स्कूल बनाने के लिए भूमि का आबंटन किया गया था और जिनके पास शहरी विकास मंत्रालय के दिल्ली डिवीजन के दिनांक 21.11.2016 की अधिसूचना संख्या के-12011/8/2016-डीडी-I के तहत स्कूलों के लिए अधिसूचित भूमि नियमों में आशोधन के अनुसार सीनियर सेकेंडरी/सेकेंडरी स्कूल बनाने के लिए पर्याप्त भूमि क्षेत्र है।

2. इस संबंध में इस कार्यालय से संपर्क करने से पूर्व ये सोसाइटियां/संस्थाएं/ट्रस्ट/संगठन/समितियां, आदि उन्नयन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर लें।

3. इसे भूमि तथा विकास अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(एस. के. बब्बर)
उप भूमि तथा विकास अधिकारी

सेवा में

1. सभी उप भूमि तथा विकास अधिकारी
2. अभियंता अधिकारी
3. सभी अनुभाग
4. एन आई सी सैल को वेबसाइट पर लोड करने के लिए
5. हिंदी अनुभाग

प्रतिलिपिः सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. सचिव (शिक्षा), कमरा नं. 6, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

प्रतिलिपिः

1. भूमि तथा विकास अधिकारी के निजी सचिव
2. सूचना पट्ट